संख्या-234/ III-2/05-47 (सा.)/03

प्रेषक,

टी.के.पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,दे.दून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून,दिनांक 10 फरवरी , 2005

विषयः- वित्तीय वर्ष 2004-05 में 03 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 03(तीन कार्यों) आगणन रू0 368.04 लाख पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 353.36 लाख (रू0 तीन करोड तिरेपन लाख छत्तीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक कार्य हेतु उसके सम्मुख कालम-6 में विवरणानुसार रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पच्चास हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है,अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर की जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाये ।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्म है,स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए ।

10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिशिचत कर लिया जाय कि उक्त कार्य हेतु पूर्व मे किसी अन्य विभागीय अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत तो नही की गयी है,यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि तब ही अवमुक्त की जायेगी जब इस बात की लिखित रूप से पुष्टि हो जाय।

क्रमश 2/-

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.05 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा । और पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं उक्त निर्धारित उपलब्ध कार्य के बाद ही अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी ।

12. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़के– आयोजनागत– 800–अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर –02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

13. **यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–यू.ओ. 324 / XX V11/ (3)/2005 दिनांक 09 फरवरी/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।**

संलग्नकः– 03 कार्यों की सूची ।

भवदीय

(टी.के. पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या–234 (1)/ III–2/04,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल मंडल, पौडी ।
3– जिलाधिकारी /कोषाधिकारी ,पौडी ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ,उत्तरांचल देहरादून ।
6– मुख्य अभियन्ता , गढवाल क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी ।
7– अधीक्षण अभियन्ता, 36 वां वृत्त,लो.नि.वि.,पौडी ।
8– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
9– लोक निर्माण अनुभाग–1 उत्तरांचल शासन
10– गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी.के. पन्त)
संयुक्त सचिव ।

R.c.joshi-Co-297

शासनादेश संख्या–234 / III–2/05–47(सामान्य)/03 दिनांक 10 फरवरी ,2005 का संलग्नक ।

(धनराशि लाख रू0 में)

क.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई किमी. में	लागत	टी.ए.सी. द्वारा आंकलित धनराशि ।	2004–05में प्रस्तावित आबंटन ।
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद पौड़ी के अर्न्तगत कोटद्वार कण्वाश्रम मोटर मार्ग का सुधार कार्य– बी.एम./एस.डी.बीसी. का कार्य ।	10.70	180.68	175.67	1.00
2.	जनपद पौड़ी के अर्न्तगत कोटद्वार मोटाढाँग कण्वाश्रम मोटर मार्ग का सुधार व चौड़ीकरण –बी.एम./एस.डी.बी. सी. का कार्य ।	3.00	71.36	65.40	0.50
3.	जनपद पौड़ी के अर्न्तगत हल्दूखाता–सिगड़्डी मोटर मार्ग का सुधार व चौड़ीकरण का कार्य ।	6.70	116.00	112.29	1.00
	योग:–	20.40	368.04	353.36	2.50

(रू0 दो लाख पचास हजार मात्र)

(टी.के. पन्त.)
संयुक्त सचिव ।